ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1317 /12–1(2) दिनांक 17/10 /2022::

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
रुद्रप्रयाग।

विषय :- **जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शिवनन्दी से सिमतोली मिसिंग लिंक (सिमतोली से काण्डा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.955 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/150493/2021

सन्दर्भ :- **आपकी पत्र संख्या–1448 दिनांक 10.10.2022।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक–1058/12–1(2) दिनांक 24.09.2022 के द्वारा 03 बिन्दुओं की सूचना ऑनलाईन/ऑफलाईन हार्ड प्रति में चाही गई थी, जिनका अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई–

1. बिन्दु सं0–1 के निराकरण वाले कॉलम में आप द्वारा अंकित किया गया है कि **प्रस्ताव में संलग्न बारचार्ट प्रपत्र–13 में मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्रस्तावित कुल 03 स्थलों, जिनमें से 01 स्थल आरक्षित वन भूमि में एवं 02 स्थल नाप भूमि दर्शाये गये हैं। प्रस्ताव के प्रपत्र संख्या–41 में टंकण त्रुटि होने के कारण सिविल सोयम दर्शाया गया था, जिसका संशोधन कर दिया गया है,** किन्तु यह उल्लेख नहीं किया है कि संशोधन प्रपत्र में किया गया है या ऑनलाईन पैरा में किया गया है, जबकि उक्त आपत्ति के निराकरण में प्रपत्र संशोधित किया जाना है तथा संशोधित प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करते हुये मूल सहित 05 कलर प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।
2. बिन्दु सं0–2 के निराकरण वाले कॉलम में आप द्वारा अंकित किया गया है कि **मोटर मार्ग के निर्माण में नाप भूमि प्रभावित हो रही है जिस पर शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है,** जबकि प्रपत्र में प्रपत्र संख्या एवं राजस्व विभाग व वन क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रपत्र केवल मूल प्रति में संलग्न किया गया है। अतः प्रपत्र में उक्त कमियों का निराकरण कर ऑनलाईन अपलोड करते हुये मूल सहित 05 कलर प्रतियों में प्रेषित किया जाय।
3. बिन्दु सं0–3 के निराकरण वाले कॉलम में आप द्वारा अंकित किया गया है कि **प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–11.2 (अनुसूची सिविल सोयम भूमि) में प्रभावित भूमि की लम्बाई एवं चौड़ाई प्रपत्र–12 में दर्शाई गई है,** जबकि प्रपत्र–11.2 अलग है जिसमें संशोधन कर संशोधित प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करते हुये मूल सहित 05 कलर प्रतियों में प्रेषित किया जाना है।

अतः उक्त प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों में पाई गई कमियों का निराकरण कर प्रमाण पत्रों को संशोधित करते हुये प्रपत्रों पर संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात् मूल सहित 05 कलर प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।